



प्रथम अध्याय
शोध परिचय

अध्याय – 1

अध्याय प्रथम – शोध परिचय

1.1 प्रस्तावना –

भारतीय समाज में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक अनेक प्रकार की विषमताएँ देखी गई हैं । जैसे जातीयता, आर्थिक विषमता, धार्मिक तथा स्त्री-पुरुष विषमता देखी गई है । भारत में विशेष रूप से आधुनिक काल में कई समाज सुधारक जैसे – राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फूले, डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर, रघुनाथ कर्वे, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द रानाडे, ऐनीबीसेन्ट आदि ने स्त्री-पुरुष के बीच विषमता को दूर करने का प्रयास किया ।

भारतीय समाज में वैदिक काल में स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, मध्य युग में स्त्री शिक्षा को नकारा गया । बौद्ध, जैन आदि धर्मों में स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया । 1813 में चार्टर एक्ट, फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच में स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय संविधान में शिक्षा को मूलभूत अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया ।

तालिका क्र. 1.1

भारत में साक्षरता का प्रमाण

क्र.	वर्ष	प्रमाण (प्रतिशत)
1.	1951	18.33
2.	1961	28.31
3.	1971	34.45
4.	1981	43.56
5.	1991	52.21
6.	2001	64.84
7.	2011	74.04

स्रोत - www.census2011.co.in

उपरोक्त सारणी के द्वारा ज्ञात होता है कि भारत की साक्षरता दर सन 1951 में 18.33 % से निरन्तर बढ़ते हुए 2011 में 74.04 % रही है । एवं इसमें लगातार वृद्धि हो रही है ।

तालिका क्र. 1.2

भारत में स्त्री – पुरुष साक्षरता प्रमाण :

क्र.	वर्ष	कुल साक्षरता प्रमाण	स्त्री साक्षरता प्रमाण	पुरुष साक्षरता प्रमाण
01	2001	64.84 %	53.84 %	75.26 %
02	2011	74.04 %	65.46 %	82.14 %

स्रोत -www.census20011.co.in

उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि पुरुषों तथा स्त्रियों की साक्षरता दर में काफी अंतर है ।

स्त्री शिक्षा में दिनों दिन वृद्धि हो रही है और वह प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहीं हैं । परन्तु आज भी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कई बाधाएँ जैसे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक आदि उत्पन्न होने के कारण कहीं न कहीं यह स्त्री के उच्च स्तर पर न पहुँच पाने का कारण है । प्रायः देखा गया है कि लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है चाहे उन्हें शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा हो या न हो ।

(1) वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति –

इस काल में स्त्रियाँ कभी भी पर्दा नहीं करती थीं। उन्हें अपने जीवन साथी के वरण में स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी तथा विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति थी।

(2) पौराणिक काल में स्त्रियों की स्थिति –

पौराणिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए शिक्षा का पूर्ण निषेध प्रारंभ हुआ। पर्दाप्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा को व्यवहार में स्वीकार किया गया ।

(3) बौद्ध तथा जैन काल में स्त्रियाँ –

बौद्ध काल में स्त्रियों का धार्मिक क्षेत्र में संघ बना जिसे भिक्षुकी संघ कहा गया । भिक्षुकीयों को भिक्षुकों के समान शिक्षा ग्रहण करने तथा शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर उपलब्ध था। जैन धर्म दो संप्रदाय में विभाजित था श्वेताम्बर और दिगम्बर। दोनों ही संप्रदाय के ग्रंथों से स्पष्ट होता है कि जैन समाज में स्त्रियों की प्रस्थिति सम्मानीय थी।

(4) मध्यकाल में स्त्रियों की प्रस्थिति –

11वीं शताब्दी के आरम्भ से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने के कारण भारतीय संस्कृति की रक्षा करना आवश्यक हो गया और इस क्रम में सर्वप्रथम स्त्रियों को उनके समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया। महिलाओं की शिक्षा प्रतिबंधित कर दी गई तथा भारतीय समाज का यह विश्वास जो महिला शिक्षा ग्रहण करेगी, विवाह के पश्चात शीघ्र विधवा हो जाएगी, ने स्त्रियों के शैक्षिक अधिकारों पर कुठाराघात किया। मध्यकाल में दक्षिण भारत के नायरों में स्त्री साक्षरता की दर तुलनात्मक रूप से काफी ऊँची थी। इस काल में शाही तथा धनी परिवारों तथा जमीदारों के घरों की महिलाओं को शिक्षा की सुविधाएँ प्राप्त थी। कुछ मध्यम वर्ग के परिवार निजी स्तर पर, घर पर ही स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करते थे।

(5) ब्रिटिश काल में महिलाओं की प्रस्थिति और परिवर्तन –

स्त्री शिक्षा विकास की दिशा में 1787 में श्रीमती कैम्पवेल ने व्यक्तिगत प्रयास करके मद्रास में एक महिला आश्रम का शुभारम्भ किया। 1824 में सबसे प्रथम बार लड़कियों का स्कूल मुम्बई में प्रारंभ हुआ। 1875 तक कलकत्ता, मद्रास व मुम्बई विश्वविद्यालयों ने लड़कियों को प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की।

➤ वुड का घोषणा-पत्र व स्त्री शिक्षा –

कम्पनी नियन्त्रण परिषद के प्रमुख चार्ल्स वुड ने 1854 में शिक्षा संबंधी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें स्त्री शिक्षा हेतु दान देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया।

➤ हन्टर कमीशन व स्त्री शिक्षा –

हन्टर कमीशन ने स्त्री शिक्षा के विकास हेतु बालिकाओं को सहायता, विद्यालयों को सरकारी कोष से धन, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास की सुविधा व महिला अध्यापिकाओं द्वारा

शिक्षा प्रदान करने की जोरदार शब्दों में सिफारिश की। हंटर कमीशन की सिफारिश को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया जिसके परिणाम स्वरूप स्त्री शिक्षा विकास कार्यक्रम को बल प्राप्त हुआ।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व देश में अनेक सामाजिक अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक तथा उत्तराधिकार संबंधी निर्योग्यताओं को दूर करने एवं परिस्थिति में सुधार हेतु उल्लेखनीय योगदान किया है। वे हैं –

- 1 सती प्रथा निषेध अधिनियम 1856
- 2 हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
- 3 बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929
- 4 हिन्दू महिलाओं का सम्पत्ति अधिकार अधिनियम 1937
- 5 हिन्दू विवाह अयोग्यता निवारण अधिनियम 1946
- 6 मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939
- 7 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (संसोधन विधेयक) 1929
- 8 मुस्लिम शरीयत अधिनियम 1937
- 9 विशेष विवाह अधिनियम 1872 और 1923

स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की स्थिति व समकालीन परिप्रेक्ष्य—

शिक्षा, महिलाओं की स्थिति सुधारने, आत्मविश्वास जागृत करने, आत्म सम्मान की भावना पैदा करने, सही ढंग से सोच विचार की योग्यता बढ़ाने, समाज में परिवर्तन लाने एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सामाजिक तथा आर्थिक नीतियाँ, महिला शिक्षा से प्रभावित होती हैं। महिलाओं की उच्च शिक्षा सिर्फ सामाजिक तथा व्यावसायिक गतिशीलता को ही प्रभावित नहीं करती है अपितु उनका बौद्धिक तथा वैचारिक विकास भी करती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् वर्ष 1951 में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत 8.8 जबकि 1961 में 15.3, 1971 में 21.9, 1981 में 29.7, 1991 में 39.29, 2001 में 54.16 प्रतिशत तथा 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गया। परंतु पुरुषों के तुलना में यह आँकड़े अधिक समाधान कारक नहीं हैं।

तालिका क्र. 1.3

स्वतंत्र भारत में साक्षरता की प्रगति

वर्ष	साक्षरता दर (प्रतिशत में)		
	स्त्री	पुरुष	योग
1951	8.86	27.15	18.33
1961	15.33	40.40	28.31
1971	21.97	45.95	34.45
1981	29.76	56.38	43.56
1991	39.29	64.13	52.21
2001	54.16	75.85	65.38
2011	65.46	82.14	74.04

स्रोत - WWW.census2011.co.in

➤ महिला शिक्षा पर समितियाँ आयोग, नीति तथा योजनाएँ

तालिका क्र. 1.4

योजनाएँ :- केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाएँ

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजना का नाम	योजना के प्रमुख उद्देश्य
1.	आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना	प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ बढ़ाना।
2.	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, II	कम महिला साक्षरता वाले जनपदों में साक्षरता में वृद्धि करना।
3.	शिक्षा मित्र योजना	प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना।
4.	सर्व शिक्षा योजना	सम्पूर्ण साक्षरता हेतु विशेष प्रयास करना।
5.	स्कूल चलो अभियान (2000)	सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान 6-14 वर्ष तक के बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन। सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित करना।
6.	कल्प योजना	विद्यालय, परिवार एवं समाज को एक साथ लाकर विद्यालय को आध्यात्मिक केन्द्र के रूप में विकसित कर बच्चों में पवित्र एवं स्वच्छ संस्कार विकसित करना।
7.	महिला सामाख्या कार्यक्रम	विवेकपूर्ण विकल्पों के लिए ज्ञान व सूचना, पाने के उद्देश्य से स्त्रियों के लिए उचित वातावरण बनाना।
8.	सर्व शिक्षा अभियान (2000)	प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हेतु यह अभियान चलाया गया। 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
9.	कस्तूरबा गाँधी योजना (2004)	बालिकाओं के लिए चरण बद्ध ढंग से 500 से 750 आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें पाँचवी तक की शिक्षा का प्रावधान है। इसमें 75 प्रतिशत स्थान ST, SC, OBC तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की होगी।

तालिका क्र. 1.5

संविधान द्वारा महिलाओं के लिए किए गए प्रावधान

संविधान के अनुच्छेद		महिलाओं के लिए किए गए प्रावधान
अनु.	14	इसके द्वारा कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष ।
अनु.	15 (3)	सरकार की तरफ से महिलाओं एवं बच्चों को विशेष सुविधाएँ प्रदान की गई है ।
अनु.	16	लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता ।
अनु.	19	समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ।
अनु.	21	समान रूप से प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित न करना ।
अनु.	23 – 24	संविधान द्वारा नारी क्रय-विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक ।
अनु.	31 द्य	इसके अंतर्गत स्त्री-पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई ।
अनु.	243 द्य. न.	पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं में 73वें और 74 वे संशोधन के माध्यम से महिलाओं को आरक्षक की व्यवस्था
अनु.	42	महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता
अनु.	47	पोषाहार जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व
अनु.	330	प्रस्तावित 84 वें संशोधन के द्वारा लोक सभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था
अनु.	332	प्रस्तावित 84 वें संशोधन के द्वारा राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था

NPE 1986 में महिलाओं की समानता के संबंध में कुछ चर्चायें की गई हैं—

शिक्षा – स्त्री की स्थिति में आधारभूत रूप से परिवर्तन करती है महिलाओं को सशक्त बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा तंत्र एक सकारात्मक भूमिका प्रदान करती है । महिलाओं के अध्ययन में तीव्र कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों के माध्यमों से महिलाओं के विकास में किया जा रहा है ।

1.2 नारी शिक्षा पर प्रमुख दस्तावेज

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया एवं उनके लिए आयोगों एवं समितियों का गठन भी किया गया जो इस प्रकार है

नारी शिक्षा एवं वि.वि. शिक्षा आयोग (1948-49)

1. स्त्री शिक्षा में कमी न की जाए, बल्कि इसे बढ़ावा दिया जाए।
2. स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा में कुछ समानता होनी चाहिए, परन्तु वह एक-सी न हो।
3. शिक्षा निर्देशन कार्य इस प्रकार किया जाए कि लड़कियाँ गृह विज्ञान के अध्ययन के प्रति उदासीन न रहें।
4. समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष अध्यापकों को समान वेतन दिए जाए।
5. सह शिक्षा वाले कॉलेजों में पुरुषों पर इस बात का दबाव डाला जाए कि वे शालीनता रखे और सामाजिक जिम्मेदारी का अनुभव करें।

नारी शिक्षा एवं मा.शि. आयोग (1952-53)

- स्त्रियों की शिक्षा में गृह विज्ञान के विशेष महत्व पर बल दिया गया।
- सभी राज्यों में लड़कियों के स्कूल खोलने पर बल दिया जाए।
- जहाँ तक संभव हो लड़कियों के लिए स्कूल पृथक रूप से खोले जाए।
- दोनों लिंगों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- गृह विज्ञान, संगीत, चित्रकारी आदि में भी शिक्षा का प्रबंध किया जाए।
- लड़कियों के लिए शौचालयों आदि की व्यवस्था की जाए।

श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति - (1958-59)

- कुछ वर्षों तक स्त्री शिक्षा को विशिष्ट समस्या मानकर उसके लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जाए।
- बालिकाओं की शिक्षा के लिए शिक्षा निदेशालय में एक विशिष्ट अधिकारी रखा जाए।
- बालिकाओं को मुफ्त में किताबें और पोशाकें दी जाए।
- अच्छी उपस्थिति दिखाने वाली बालिकाओं के लिए छात्रवृत्तियाँ भी दी जाए।
- बालिकाओं की शिक्षा के लिए शिक्षा निदेशालय में एक विशिष्ट अधिकारी रखा जाए।
- कार्यक्रमों की देखभाल के लिए केन्द्र में स्त्री शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् बनाई जाए और राज्यों में भी ऐसी परिषदें बनें।

श्रीमती हंसा मेहता समिति (1962)

- लड़के और लड़कियों की शिक्षा में फैली असमानता को समाप्त किया जाए।
- जनता को लिंग भेद के संबंध में वैज्ञानिक जानकारियाँ विस्तृत रूप में उपलब्ध कराई जाएँ जिसमें वे एक-दूसरे के प्रति उचित भावनाएँ बना सकें।
- प्राथमिक कक्षाओं में सह शिक्षा अपनाई जाए।
- माध्यमिक और कॉलेज स्तर पर अभिभावकों की इच्छानुसार लड़कियों के लिए अलग-संस्थाएँ बनाई जाएँ या मिली-जुली संस्थाएँ बनाई जाएँ।
- प्राथमिक कक्षाओं में लड़के-लड़कियों के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर न रखा जाए।
- देश का लक्ष्य 14 वर्ष की आयु होने तक सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना है।
- लड़कियों के लिए मिडिल स्कूल शिक्षा का विस्तार करने के लिए अधिक से अधिक कार्य करना चाहिए।
- मिडिल स्कूल के बाद विस्तृत व्यावसायिक पाठ्यक्रम होना चाहिए।
- संगीत और चित्रकला लड़कियों के प्रिय विषय है। माध्यमिक स्तर पर इन विषयों को पढ़ने की व्यवस्था करना चाहिए।
- लड़कियों के लिए छात्रावास बनाने चाहिए।

भक्त वत्सलम् समिति – (1963) समिति की सिफारिशें

- (1) प्राथमिक कक्षाओं में सह शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए मिड डे मीलस की व्यवस्था करना।
- (3) निर्धन और जरूरतमंद छात्रों को वरदी, पाठ्यपुस्तकें, और लेखन सामग्री उपलब्ध कराना चाहिए।
- (4) राज्य स्त्री शिक्षा परिषद का निर्माण, स्त्री शिक्षा के प्रति जागृति और प्रसारण कार्य करना चाहिए।
- (5) पहाड़ी, छितरी आबादी वाले व पिछड़े क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ते दिया जाए।
- (6) वयस्क स्त्रियों के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम की व्यवस्था।
- (7) प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में लड़के-लड़कियों का पाठ्यक्रम एक सा होगा।

- (8) कम विकसित राज्यों जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, और उत्तरप्रदेश में विशेष सुविधाएँ निःशुल्क आवास, बिना मूल्य की पुस्तकें और निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

कोठारी आयोग (1964-66) की स्त्रियों की शिक्षा संबंधी प्रमुख सिफारिशें

- (1) केन्द्र और राज्यों, दोनों जगहों में स्त्रियों की शिक्षा पर नजर रखने के लिए एक विशेष तंत्र होना चाहिए।
- (2) सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान देना भी जरूरी है।
- (3) अंशकालिक रोजगार के अवसर, जिनमें स्त्रियाँ अपने घरों की देखभाल भी कर सकें और बाहर जीवन के लिए कोई पेशा भी अपना सकें, बड़े पैमाने पर बढ़ाने होंगे।
- (4) कला, मानविकी, विज्ञान और शिल्प विज्ञान के पाठ्यक्रमों में महिला विद्यार्थियों का मुफ्त प्रवेश होना चाहिए। गृह विज्ञान, परिचर्या, शिक्षा और सामाजिक कार्य के पाठ्यक्रमों को विकसित करना जरूरी है।
- (5) पूर्व स्नातक स्तर पर यदि स्थानीय माँग हो तो महिलाओं के लिए पृथक कॉलेज स्थापित किए जा सकते हैं।

शिक्षा आयोग की अध्यापिकाओं से संबंधित सिफारिशें

- (1) शिक्षा के सभी स्तरों और सभी क्षेत्रों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन दिया जाए।
- (2) अध्यापिकाओं के लिए विशेषकर देहाती क्षेत्रों में आवास के संबंध को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
- (3) जहाँ आवश्यक हो, देहाती क्षेत्रों में काम करने वाली अध्यापिकाओं को विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए।

नारी शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की समीक्षा समिति (राममूर्ति समिति रिपोर्ट-1990)

- (1) बाल्यवास्था में आरंभिक देखभाल के समय में स्कूल का समय शामिल होना चाहिए, ताकि 0-10 आयुवर्ग की लड़कियाँ अपने छोटे भाई-बहन की देखभाल की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएँ।

- (2) भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए शुरू की जाने वाली किसी भी रणनीति में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को प्राथमिकता देनी होगी।
- (3) लड़कियों को गणित और विज्ञान की शिक्षा को अधिक प्रोत्साहित करने का प्रयास होना चाहिए।
- (4) लड़कों एवं लड़कियों की पाठ्यचर्या में किसी प्रकार का अंतर न हो।
- (5) NCERT/SCERT और अन्य प्रकाशकों की सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों की इस दृष्टि से समीक्षा की जाए कि उनमें महिलाओं की भूमिकाओं को उचित स्थान दिया जाए और लिंग से संबंधित रूढ़िवादी धारणा को समाप्त किया जाए।
- (6) लिंग संबंधी विशिष्ट संदर्भ में विज्ञापनों में महिलाओं को अपने माल की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयोग करने के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए।
- (7) इन माध्यमों को महिलाओं की सकारात्मक छवि को उभारना चाहिए। इनमें महिलाओं को डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों की भूमिका में प्रदर्शित करना चाहिए।
- (8) लड़कियों के लिए आठवीं कक्षा स्तर पर वोकेशनल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाएँ।
- (9) गैर-परंपरागत पेशों में महिलाओं के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाए।
- (10) शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर पृथक प्रशिक्षण और संवेदनशील कार्यक्रम करने होंगे।
- (11) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर सभी विश्वविद्यालयों और मान्यता प्राप्त सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थाओं में महिलाओं के अध्ययन केन्द्र संगठित किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 (NCF -2005)

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बालिका शिक्षा तथा लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित उल्लेख मिलता है—

समानता की दिशा में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो विशेषकर लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करें ताकि समाज तथा राजनीति में वे अपना योगदान दे सकें।

समानता के व्यवहार या लड़कियों के लिए समान अवसर के संबंध में औपचारिक दृष्टिकोण अपर्याप्त है। वर्तमान में एक कारगर दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है ताकि परिणामों में समानता आये और जिसमें विविधता, विभेद और असुविधाओं का ध्यान रखा जाए।

समानता की दिशा में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विशेषतः लड़कियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाएँ ताकि वे समाज और राजनीति में अपना योगदान दे सकें हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अधिकार और सुविधा तब तक देना चाहिए। जब तक केन्द्रिय मानवीय क्षमताओं का विकास न हो जाए। इसलिए शिक्षित लड़कियों में यह सुझा मुमकिन होना चाहिए कि वह अपने अधिकारों का दावा कर सकें और सामाजिक जीवन में सक्रिय भूमिका अदा कर सकें। शिक्षा उनमें यह सामर्थ्य दे सके कि वह सामाजिक जीवन के नुकसान को भर सकें तथा अपने क्षमताओं का विकास कर सकें ताकि आगे चलकर वह स्वायत्त और समान नागरिक बन सकें।

दीनता एवं असमानता लिंग, जाति, शारीरिक मानसिक असमर्थताओं में निहित है। संविधान के समानता के मूल को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब शिक्षक को प्रशिक्षित करना होगा कि वे बच्चों में सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक विविधता कि समझ को विकसित करें जो खुद उनके साथ स्कूल तक आ जाती है।

1.3 अध्ययन की आवश्यकता

वर्तमान समय में महिलायें पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। आर. आई. ई. भोपाल में भी बी.एससी.बी.एड. प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या छात्रों की संख्या के तुलना में अधिक है। छात्राओं की अधिक संख्या क्या केवल उनकी अधिक गुणवत्ता के कारण है? या अन्य कोई कारण है? छात्राओं के यहाँ आने का कारण या सोच क्या है? क्या छात्राओं की इस क्षेत्र में कोई रुचि है? क्या उनके भाई कोई अन्य क्षेत्र जैसे मेडिकल, इंजिनियरिंग क्षेत्र में अध्ययनरत हैं? क्या सहोदरों की तुलना में छात्राओं को तथाकथित निम्न शिक्षा दिलाई जा रही है? क्या छात्रायें यह समझती हैं कि यह क्षेत्र उनके लिए अधिक सुरक्षित तथा कम खर्चीला है? क्या ये छात्रायें अनजाने में लिंग भेदभाव का शिकार तो नहीं हो रहीं हैं? प्रस्तुत अध्ययन इन्हीं सब बातों को जानने का प्रयास है।

1.4 समस्या कथन

“लैंगिक परिप्रेक्ष्य से बी. एससी. बी. एड. में अध्ययनरत छात्राओं के सहोदरों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन”

1.5 अध्ययन के उद्देश्य

1. बी.एससी. बी.एड. में अध्ययनरत छात्राओं के सहोदरों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना ।
2. लैंगिक परिप्रेक्ष्य से बी.एससी.बी.एड. में अध्ययनरत छात्राओं के सहोदरों की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण करना ।

1.6 तकनीकी शब्दों की परिभाषा

1. लैंगिक परिप्रेक्ष्य — किसी भी व्यक्ति का किसी लिंग (स्त्री/पुरुष) के प्रति सोचने, समझने और देखने के नजरिये को लैंगिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं ।
2. लैंगिक — यह महिलाओं और पुरुषों के विभिन्न और असमान गुणों और भूमिकाओं का निर्धारण करता है ।
3. सहोदर — प्रस्तुत अध्ययन में सहोदर शब्द से तात्पर्य एक ही माता के पुत्र एवं पुत्री अर्थात् भाई — बहन से है ।

1.7 शोध का सीमांकन

1. यह अध्ययन म. प्र. के भोपाल जिले के श्यामला हिल्स क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में छात्राओं तक ही सीमित है ।
2. यह शोध कार्य बी.एससी. बी.एड. के प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के छात्राओं तक ही सीमित है ।